

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
(श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना)

कार्यालय आदेश सं०- 31

पटना, दिनांक- 30/06/2026

श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय (सामान्य एवं तकनीकी) में पदस्थापित निम्नवर्गीय लिपिक को स्तंभ-3 में अंकित वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तंभ-4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	निम्नवर्गीय लिपिक का नाम	वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती वैदेही कुमारी	श्रम अधीक्षक का कार्यालय, जहानाबाद (सम्प्रति प्रतिनियुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, पटना)	कृषि श्रमिक निदेशालय, बिहार पटना (प्रतिनियुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, पटना)

- उक्त निम्नवर्गीय लिपिक का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित निम्नवर्गीय लिपिक को अविलंब विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कर्मी अपना सभी प्रकार का प्रभार सौंप कर ही स्थानान्तरित कार्यालय में अपना योगदान देंगे। कार्यालय प्रधान स्थानीय व्यवस्था के तहत प्रभार का आदान-प्रदान सुनिश्चित करवायेंगे।
- स्थानान्तरित निम्नवर्गीय लिपिक का जुलाई-2026 का वेतन नव पदस्थापित कार्यालय से भुगतये होगा।
- संबंधित कार्यालय प्रधान को आदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक-15.07.2026 तक अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

ह०/-
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई1-40/2026 श्र०सं०- 3897 पटना, दिनांक- 30/6/26
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय, बिहार पटना/श्रम अधीक्षक, जहानाबाद एवं स्थानान्तरित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कार्यालय प्रधान से अनुरोध है कि स्थानान्तरित निम्नवर्गीय लिपिक को अपने स्तर से भी उक्त आदेश परिचारित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

A 30/6/26
श्रमायुक्त, बिहार।